<u>आवेदक के लिए प्रवेश हेतु दिशा निर्देश</u>

1. आवेदक के इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी |

2. **मेरिट का निर्धारण करते वक़्त आवेदक के योग्यता परीक्षा के पास होने का वर्ष का भी ध्यान रखना होगा | प्रत्येक ईयर गैप के लिए 2 % अंकों की कटौती की जाएगी | अधिकतम 8 % की कटौती की जा सकती है |**

3. आवेदक के द्वारा चयनित पाठ्यक्रमो एवं महाविद्यालयों को ही अंतिम चयनित विकल्प माना जायेगा एवं मेरिट उन्ही चयनित विकल्पो के आधार पर निकली जाएँगी |

4. आवेदक के द्वारा चयनित पाठ्यक्रमो एवं महाविद्यालयों में अगर आवेदक का चयन किसी भी पाठ्यक्रम में होता है तो आवेदक के लॉगिन में उस चयनित विकल्प के सामने एक ऑफर लेटर डाउनलोड करने का लिंक होगा | जहाँ से आवेदक प्रवेश हेतु ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकेंगे | ऑफर लेटर में एक गोपनीय कोड के अलावा आवेदक का विवरण (personal details) उपलब्ध होगा और मेरिट की एडमिशन की शुरुआती और अंतिम तिथि भी उल्लेखित होगी |प्रवेश लेते वक़्त आवेदक के पास उस महाविद्यालय, जहाँ उनका चयन हुआ है , का ऑफर लेटर , उनकी योग्यता के प्रमाण पत्र यथा 12 वीं के अंक पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र , पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए), आय प्रमाण पत्र (EWS के आवेदकों के लिए) एवं महाविद्यालय की निर्धारित प्रवेश शुल्क होना आवश्यक है | आवेदक को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल भी साथ में ले जाना आवश्यक है | रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा , जिसका उपयोग महाविद्यालय द्वारा प्रवेश के समय पोर्टल पर किया जायेगा |

5. आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत सम्बंधित महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लेंगे |

6. मेरिट लिस्ट के अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा |

7. यदि किसी आवेदक को उनंके द्वारा चयनित **PREFERENCE** का आवंटन पहली वरीयता सूची में प्राप्त हो जाता है तो उनके अन्य **Least Preferred options** (अल्पतम तहजीह) समाप्त कर दिए जायेंगे | प्रवेश नहीं कराने की स्थिति में उन्हें अगले वरीयता सूची में मौका नहीं मिलेगा एवं उन्हें **SPOT ADMISSION** वाले प्रवेश चरण में प्रवेश लेना होगा |

8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में सामान्यतः मेरिट के आधार पर 3 काउंसलिंग की जाएगी (मेरिट पाठ्यक्रम में उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष ही निकली जाएँगी) | 3 काउंसलिंग के उपरांत **SPOT ADMISSION** का भी मौका पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अनुसार मिलेगा |

नोट - यदि अभ्यर्थी को ये प्रतीत होता है कि उसके द्वारा चयनित **Most Preferred options** (परम तहजीह) में प्रवेश अगले काउंसलिंग में हो सकता है तो वो अपना प्रवेश उस काउंसलिंग में न ले , वे अगली काउंसलिंग तक इंतज़ार कर सकते हैं | लेकिन ये निर्णय पूर्णतः अभ्यर्थी का होगा | विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का आश्वासन नहीं देता है | प्रवेश पाठ्यक्रम में उपलब्ध रिक्त सीटों के सापेक्ष ही की जाएँगी

नोट - मेरिट अनिर्णीत (सामान) होने की स्थिति में आवेदित पाठ्यक्रम से सम्बंधित विषय में, जिस आवेदक के अधिक अंक होंगे , उन्हें तहजीह दी जाएँगी | अगर फिर भी मेरिट अनिर्णीत (सामान)रहता है तो हाई स्कूल (स्नातक में प्रवेश के सन्दर्भ में) जिस आवेदक के अधिक अंक होंगे , उन्हें तहजीह दी जाएँगी |